①

संख्याः– /VIII/16–1081(श्रम)/2004

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त /मुख्य निरीक्षक ,कारखाना ब्वायलर,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग **देहरादून::** **दिनाँकः 20 जून, 2016**

विषयः–निदेशक कारखाना, उप निदेशक कारखाना एवं सहायक निदेशक, के कर्तव्यों का निर्धारण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 219 /श्र०मु०/उत्तरा०/ दिनांक 21मार्च 2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निदेशक कारखाना, उप निदेशक कारखाना एवं सहायक निदेशक, के कर्तब्यों का निर्धारण किये जाने के संबंध में शासन को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में शासन के पूर्व में जारी शासनादेश 2635/VIII/16–1081(श्रम)/2004दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को अधिकमित कर निम्नवत् निदेशक कारखाना, उप निदेशक कारखाना एवं सहायक निदेशक, के कर्तव्यों का निर्धारण किये जाने के निर्णय लिया जाता है :–

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	अधिकारी जिसके द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा।
1	2	3
1.	वृहद् औद्योगिक दुर्घटना की शंका वाले उत्तराखण्ड के सभी कारखाने तथा 500से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के रेखांकनों का अनुमोदन करने, कारखाना भवनों की दृढ़ता के प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने, लाईसेंस जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने, संशोधन, अन्तरण और लाईसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने सम्बन्धी कार्य तथा निरीक्षण कार्य	श्रमायुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड।

2.	100 से अधिक किन्तु 500 से कम कर्मकारों तक का नियोजन करने वाले सभी कारखानों के रेखांकनों का अनुमोदन करने, कारखाना भवनों की दृढ़ता के प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने, 500 कर्मकारों से कम नियोजित करने वाले कारखानों को न्यूनतम ऊँचाई से छूट प्रदान करने, लाईसेंस जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने, संशोधन, अन्तरण और लाईसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने सम्बन्धी कार्य तथा समस्त निरीक्षण कार्य।	उप निदेशक, कारखाना द्वारा।
3	100 कर्मकारों तक का नियोजन करने वाले सभी कारखानों के रेखांकनों का अनुमोदन करने, कारखाना भवनों की दृढ़ता के प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने, 100 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों को न्यूनतम ऊँचाई से छूट प्रदान करने, लाईसेंस जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने, संशोधन, अन्तरण और लाईसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने सम्बन्धी कार्य तथा समस्त निरीक्षण कार्य।	सहायक निदेशक, कारखाना द्वारा।

उपरोक्तवत् कर्तब्यों का निर्वहन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 566 (1) / VIII / 16–1081(श्रम) / 2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर, श्रमायुक्त कार्यालय हल्द्वानी।
2. सहायक निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर, अपर श्रमायुक्त कार्यालय देहरादून।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जी॰एन॰पन्त)
उप सचिव।